# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए. 4/2015
पंजीयन दिनांक 11.02.2015

(1). गंगाबाई पत्नि मांगीलाल जाति मेनारिया निवासी सतपुड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). मांगीलाल पिता हेमराज जाति मेनारिया निवासी सतपुड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

**-अपीलांट्गण**

बनाम

(1). भैरूलाल पिता हजारी जाति जाट निवसी देवजी का खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). रामचन्द्र पिता हेमराज जाति मेनारिया निवासी सतपुड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). सोहनलाल पिता हेमराज जाति मेनारिया निवासी सतपुड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). कन्हैयालाल पिता हेमराज जाति मेनारिया निवासी सतपुड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

**-रेस्पोडेन्ट्गण**

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 430/2013 निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.12.2014

उपस्थित वक्त बहस-(1). सावन श्रीमाली -अधिवक्ता अपीलांट
(2). सुनील बोहरा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पवन कुमार व्यास- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4
(4). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5

**निर्णय** **दिनांक 18.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थनापत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा सतपुड़ा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 389/3, 389/4 स्थित है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के समीप आराजी संख्या 400 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा से होते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित आराजीयात तक स्थित है। परन्तु अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 व रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण सख्या 2,3,5 उक्त आराजी संख्या 400 के स्वयं नाम खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात मे अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 व रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण सख्या 2,3,5 की खातेदारी की आराजी संख्या 400 मे होकर आने-जाने मे बाधा उत्पन्न करते है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात के पूर्व दिशा मे स्थित आराजी सख्या 400 मे विद्यमान कदीमी रास्ते को चौड़ा किये जाने एवं राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र कमिश्नरी रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित होना मानकर, स्वीकार किया जाकर आदेशित किया कि मौजा सतपुड़ा की आराजी संख्या 400 के दक्षिण-पूर्व मे से रास्ता कायम करने हेतु 2 एयर भूमि किस्म बीड़ कीमतन डीएलसी रेट अनुसार 4935 रूपये प्रति एयर की दोगुना राशी 9870 रूपये प्रति एयर की दर से 2 एयर भूमि की कीमतन का भुगतान प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त राशी का ड्राफट खातेदार अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 एवं रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण संख्या 2,3,5 को उनके हक हिस्से अनुसार बनाकर ,भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ता के रूप मे दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जावे ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। तामील की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दिनांक 15.09.2014 को बिना पक्षकारान की उपस्थिति के सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मौका दिए बिना ही, बिना किसी आधार पर जवाब बंद किये जाने का आदेश दिया जाकर दिनांक 16.10.2014 को पक्षकारान की उपस्थिति नहीं होना बताकर एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया जाकर दिनांक 18.12.2014 को एकतरफा निर्णय व आदेश पारित किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पक्षकारान को जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया व मौका कमिश्नरी रिपोर्ट तहसीलदार कमिश्नर द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति मै तैयार की गई जिसकी पूर्व मे कोई सूचना विपक्षीगण को नही दी गई। इस प्रकार अवैधानिक कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार की जाकर उक्त कमिश्नरी रिपोर्ट के आधार पर वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 की आराजी मे से रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 18.12.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे निर्णित किया गया। अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से पत्रावली मे जवाबदावा बंद किये जाने की कार्यवाही की गई। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित आराजीयात मे आने-जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना मौका कमिश्नरी रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित होने व एकमात्र वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 400 मे विद्यमान होना प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 400 मे रास्ता कायम किया जाकर बिलानाम रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.12.2014 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली मे दिनांक 15.09.2014 को तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सिरोही (राज.)

चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु तहसीलदार चित्तौड़गढ कमिश्नर द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित नही होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करवायी गयी। पक्षकारन की अनुपस्थिति मे तैयार उक्त मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने से अवैधानिक है। साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट मे प्रस्तुत नक्शा ट्रेस मे डोटेट लाइन से अंकित रास्ता जो सतपुडा से गागाजी का खेड़ा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से निकलकर आराजी संख्या 400 की मेड़ तक जाना अंकित है , का स्वरूप व स्वामित्व स्पष्ट नही होने से वांछित रास्ते का निर्धारण किया जाना सभंव नही है। साथ ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता जो आराजी संख्या 424 व आराजी संख्या 289 के रूप मे बिलानाम रास्ता दर्ज रेकॉर्ड होकर बताया गया है जिसकी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वांछित रास्ते की तुलना मे दूरी कितनी है यह भी स्पष्ट नहीं है। उसके बावजूद दिनांक 16.10.2014 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कमिश्नर द्वारा उक्त अस्पष्ट मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की जाकर उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 4 की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2014 को उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्गण विपक्षीगण सख्या 1 व 4 की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे विलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण सख्या 1 व 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायाल उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 430/2013 निर्णय व आदेश दिनांक 18.12.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए , गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)